तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./5300/2005/श्रीगंगानगर जगीर कौर बनाम जसविन्द्रकौर	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री पवन सिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी

श्री प्रशान्त सोनी, अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 27–09–2022

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, घडसाना द्वारा प्रकरण संख्या–36/2005 बउनवानी जसविन्द्रकौर बनाम जगीर कौर में पारित आदेश दिनांक 30–09–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी निगरानी कर्ता का तर्क है कि वादी ने बिना खातेदार हुए ही बंटवारे का दावा पेश किया है जबकि सहखातेदार ही बंटवारे का दावा कर सकता है और वादी को अपने पति के जीवनकाल में उसके विरूद्ध बंटवारे का वाद करने का अधिकार नहीं है अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थनापत्र गलत रूप से खारिज किया है। अपने तर्क के समर्थन में 2020 एससीसी (7) पेज 366 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी गैर निगरानीकार का तर्क है कि प्रतिवादी ने वादी को अलग कर दिया तब उसे आधी भूमि दी गई और उसी आधार पर घोषणा का दावा पेश किया है जो खातेदार के विरूद्ध पेश किया है।वादी का वाद किस कानून के तहत वर्जित है प्रार्थी ने स्पष्ट नहीं किया है। वाद के अभिवचनों से वादी का वाद कारण बनता है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादिया ने अपने पति जगीरसिंह उर्फ बलदेवसिंह के विरूद्ध धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश किया है और यह कथन किया है कि उसका पति शराबी है, उसके पति ने उसे घर से अलग कर दिया है और उसका पति ने अलग करते समय आधी जमीन दी थी और उस जमीन पर वादिया का कब्जा है

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./5300/2005/श्रीगंगानगर जगीर कौर बनाम जसविन्द्रकौर	नम्बर व तारीख

परन्तु प्रतिवादी उसे बेदखल करना चाहता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में एक वाद ओर पेश हुआ जिसमें उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश दिया गया जिसका नोट वादपत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी में अंकित है लेकिन उक्त वाद अग्निकाण्ड में जल जाना बताया है और इस तथ्य का खण्डन न भी नहीं है। इसलिए मौजूदा दूसरा वाद पेश किया है, गैर खातेदार द्वारा खातेदार के विरूद्ध घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया जा सकता है। तहसीलदार को पक्षकार बनाया जा चुका है। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 में यह भी अंकित नहीं किया है कि किस कारण से वाद विधि विरूद्ध वर्जित है जबकि वादपत्र के अवलोकन से वाद कारण उत्पन्न होना प्रकट है ऐसी स्थिति में प्रार्थी निगराकार द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रकरण में प्रार्थी को कोई मदद नहीं करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता एवं अनियमितता नहीं है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, घडसाना को निर्देश दिये जाते है कि वे वर्ष 2005 से लम्बित वाद में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मूल वाद का निस्तारण छः माह में आवश्यक रूप से करें।

पक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, घडसाना के न्यायालय में दिनांक 12-10-2022 को उपस्थित हो।

निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित हो। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य